न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **18 / 2019** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती जशोदा धर्मपत्नी स्व.श्री गंगाराम जी गमेती, निवासी आयड, हाल मुकाम पाराखेत, कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री नाथु जी गमेती, निवासी हिरणमगरी से.नं. 3, कच्ची बस्ती, भोपा मगरी, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती उदकी उर्फ मोवनी पत्नी श्री लालू जी गमेती, निवासी अम्बामाता की घाटी, धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चनणी पत्नी श्री सवाजी गमेती, निवासी नीमचखेडा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः 1. श्री नरेन्द्र सोनी, अधिवक्ता अपीलान्ट

2. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2

निर्णय

दिनांकः— 10.01.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या 1755 दिनांक 19.08.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव आयड़ तहसील गिर्वा के खाता सं. 246 में वर्णित आराजीयात कुल किता 27 रकबा 3.3650 हे. भूमि स्थित है। जिसके खातेदार रोडकी पुत्री धन्ना गमेती जमाबन्दी में दर्ज है। जिसका देहान्त 12.10.83 को हो गया। जिसका एक पुत्र गंगाराम था जिसका भी देहान्त दिनांक 13.11.17 को हो गया। जिसकी पत्नी अपीलान्ट है। खातेदार श्रीमती रोडकी अपीलान्ट की सास है। अपीलान्ट मृतक रोडकी की जीवित वारिसान है। रोडकी के स्वर्गवास के पश्चात भूमि का हिस्सा रोडकी के पुत्र गंगाराम के नाम पर दर्ज

होना चाहिए था। गंगाराम के स्वर्गवास हो जाने से उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम अंकित होनी चाहिए थी। लेकिन रोडकी की बहन चोखली ने फर्जी तरीके से श्रीमती रोडकी का अपने आपको एकमात्र वारिस बताकर व असली वारिसान के नाम छिपा कर रोडकी की 1/8 भाग की भूमि को चौकली द्वारा अपने नाम करवा लिया गया। जबकि उस समय रोडकी का पुत्र गंगाराम जीवित था। विधिक वारिसान मौजूद था। तथ्यों को छिपाते हुए चोखली द्वारा फर्जी तरीके से रोडकी का वारिस बताकर नामान्तकरण अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। जबकि चोकली को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। चोखली का देहान्त हो चुका है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 चोकली की पुत्रियां है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसानों की जांच किये ही नामान्तकरण खोल दिया गया। अपीलान्ट अनपढ महिला होकर काश्तकार है। कानुन का ज्ञान नहीं है। गलत खोले गये नामान्तकरण की कोई सूचना अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट के पति श्री गंगाराम जी को नहीं दी गई। न ही किसी प्रकार की जानकारी होने दी। चोरी छिपे नामान्तकरण खोला गया है। तथा ऐसे गलत व अवैध रूप से खोले गये नामान्तकरण की निरस्ती की कोई मयाद नहीं है तथा अपीलान्ट द्वारा जानकारी होते ही अविलम्ब यह अपील आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रथम दृष्टया नामान्तकरण को देखने से ही ज्ञात होता है कि यह नामान्तकरण जल्दबाजी में गलत तरीके से मु.चोखली को फायदा पहुंचाने की गरज से खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय नामान्तकरण निरस्त कर वर्णित भूमि के 1/8वे हिस्से का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपनी अपील मेमो के साथ में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को नामान्तकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अभी एक माह पूर्व रेस्पोडेन्ट, भूमाफियाओं, गुण्डे, बदमाशों को साथ लेकर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने आये और बेदखल की धमकी दी जिस पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व अभिलेख आदि की नकले प्राप्त की व दिनांक 20.02.19 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को मयाद में शुमार फरमायी जाये।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 02.12.19 को अमल में लाई जाती है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने यह नही बताया है कि खाता संख्या में कितने आराजी व कितना

रकबा था। रोडकी देहवासन किस दिनांक को हुआ व कहां हुआ इसकी जानकारी उत्तरदातागण को नहीं है। अपीलार्थी साक्ष्य साबित करवावे। यह भी स्वीकार नहीं है कि रोडकी के कोई गंगाराम नाम का कोई पुत्र हुआ हो जिसकी मृत्यु हो गई हो और अपीलान्ट उस गंगाराम की पत्नी होकर उसकी वारिस हो। अपीलार्थी ने इस कलम में मिथ्या उल्लेख किया है। रोडकी 50 वर्ष पूर्व अपनी बहन चोखली के साथ रहती थी और बाद में उसने नामा विवाह कर लिया था। उसके उक्त नाते से किसी तरह की कोई संतान नहीं थी। वह अकेली थी और उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई कानूनी अधिकारी उत्तरदातागण की जानकारी अनुसार नहीं था। अपीलार्थीयां जिस आधार पर रोडकी की वारिस बता रही है वह सरासर मिथ्या एवं सारहीन है। रोडकी व चोखली की सम्पत्ति से उनका किसी तरह का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपने प्रार्थनापत्र में भूमि की वर्तमान क्या स्थिति है, किसके स्वामीत्व व आधिपत्य में है कोई उल्लेख नहीं है। 35 वर्ष के पूर्व के खाते को लेकर अपील प्रस्तुत की गई हैं जो सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर समयावधि बाहर होने से खारीज होने योग्य है।

अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में निवेदन किया कि जिस घटना का उल्लेख किया है ऐसी कोई घटना हुई ही नही। अपील का आधार तैयार करने के लिए यह मिथ्या कहानी बनाई है। नामान्तकरण के 20 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलीय नामान्तकरण विधि सम्मत तरीके से खोला गया हैं। रोडकी का गंगाराम कोई पुत्र होना जानकारी में नहीं है। भूमाफियों द्वारा रोडकी की फर्जी वारिस बनाकर भूमि को हडपने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपील को समयावधि में शुमार किये जाने का कोई आधार प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मयाद के आधार पर अपील निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर निवेदन किया गया है कि मौजा आयड तहसील गिर्वा के खाता सं. 246 वर्णित आराजीयात किता 27 कुल रकबा 3.3650 हेक्टयर भूमि में से खातेदार रोडकी पुत्री धन्ना गमेती का 1/8 हिस्सा दर्ज होकर रोडकी मृत्यु के उपरान्त विरासत से खाता गंगाराम के दर्ज होना चाहिए था जो उसका पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद जरिये विरासत अपीलान्ट के नाम दर्ज होना चाहिए था। अपीलान्ट जसोदा गंगाराम की पत्नी होकर रोडकी की पुत्रवधु है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर रोडकी की मृत्यु के उपरान्त उसकी बहन चोखली के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाकर भूमि का हस्तान्तरण किया गया। वर्तमान रेस्पोडेन्ट 1 से 3 चौखली की पुत्रियां है। चौखली की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए रेस्पोडेन्ट

के रूप में उसकी पुत्रियों को संयोजित किया गया है। जिस समय अपीलीय नामान्तकरण खोला गया था उस समय रोडकी का पुत्र गंगाराम जीवित था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चौखली को अवैध लाभ पहुंचाने की गरज से वास्तविक वारिसानों की जांच नहीं कर चौखली द्वारा किये गये कथनों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि चोखली को वादग्रस्त भूमि का कोई हक व अधिकार नहीं है। अभी एक माह पूर्व रेस्पोडेन्टगण द्वारा असामाजिक तत्वों को साथ में लाकर भूमि खाली करने की धमकी दिये जाने पर राजस्व अभिलेख की जानकारी पर नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रथम दृष्टया नामान्तकरण देखने से भी यह जानकारी होती है कि दिनांक 16.08.99 को पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरा गया, 17.08.99 को निरीक्षक द्वारा बिना जांच किये रिपोर्ट कर दी गई व दिनांक 19.08.99 को तहसीलदार गिर्वा ने बिना जांच किये ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। चौखली के नाम पर खोला गया नामान्तकरण गलत होने से खारीज किया जाकर विरासत से अपीलान्ट के नाम पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट को यह जानकारी नहीं है कि खाते में कितना रकबा है व कितनी आराजी है। रोडकी का देहान्त कहा हुआ, किस दिनांक को हुआ इसकी भी जानकारी नहीं है। रोडकी के कोई गंगाराम नाम का कोई पुत्र हुआ तथा उसकी मृत्यु हो गई, इसकी भी हमे जानकारी नहीं है। अपीलान्ट गंगाराम की पत्नी होना भी हमारी जानकारी में नहीं है। अपीलान्ट द्वारा मिथ्या तथ्य उल्लेख किये गये है। रोडकी के कोई कानूनी वारिस नहीं थे। रोडकी करीब 50 वर्ष पूर्व अपनी बहन चौखली के साथ रहती थी और बाद में उसने नाता विवाह कर लिया था। उसके उक्त नाते से किसी तरह की कोई संतान नहीं थी। वह अकेली थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। अपीलान्ट जिस आधार पर रोडकी की वारिस बता रही है, वह सरासर मिथ्या एवं सारहीन है। 35 वर्ष के पूर्व के खाते को लेकर अपील प्रस्तुत की गई है, जो सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलीय नामान्तकरण को खोले हुए भी 20 वर्ष हो चुके है इतनी अवधि गुजर जाने के पश्चात फर्जी वारिस तैयार करके वास्तविक खातेदार व हकदारों को डराने व धमकाने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपील की मयाद एक माह के मुकाबले 20 वर्ष बाद मिथ्या आधारो पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। अपीलीय नामान्तकरण सं. 1755 दिनांक 19.08.99 को खोला

गया है। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 22.03.19 को प्रस्तुत की गई है। यानि कि 20 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपने धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में कोई ऐसा ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है, जिसके आधार पर 20 वर्ष तक अपील प्रस्तुत नहीं करने का क्या पर्याप्त कारण रहे है। कानूनन विलम्ब की स्थिति में प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रार्थना पत्र में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलीय नामान्तकरण का ज्ञान कैसे हुआ, उसकी नकल प्राप्त करने के लिए किस तारीख को आवेदन किया, नकल कब प्राप्त हुई, जबकि माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये गये है कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील दायर करने के संबंध में की गई देरी के संबंध में सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण से न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक अपील दायर करने में की गई देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा देरी को कण्डोन करने के जो कारण उल्लेख किये है, वह संतोषजनक नही है। 20 वर्ष की देरी को कण्डोन करने के कोई न्यायसंगत आधार नहीं है। अतः हम योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने के आधार पर खारीज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से तथा अपील दायर करने में की गई देरी क्षमा योग्य नहीं होने से अपील में गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना इसी आधार पर खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:39:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: